न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 06-02-24..... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 417/2019 | तारीख दायर 02–12–2019 | तारीख फैसला 06/02/2024

मकान :–
01. प्रकाशचन्द पुत्र श्री भूरला उर्फ भूरू जाति अहीर निवासी ग्राम बिनौलिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

––––:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

––––:: असल प्रतिवादी

02. नीलम पुत्री लल्लू
03. मैनपाल
04. नरपाल पुत्रान प्रकाशचन्द जाति अहीर निवासीगण ग्राम बिनौलिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

––––:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि 0.0900 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 637 रकबा 1 बिस्वा यानि 0.01 हैक्टेयर में शामिल कर पैमुद किये गये है, जो वाके ग्राम बिनौलिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा बयनामा, मिलान क्षेत्रफल, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा पैमुद जमाबन्दी व हाल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है।

उक्त साबिक आराजी के पूर्व में खातेदार मनीलाल वल्द बेगराज जाति अहीर निवासी ग्राम बिनौलिया तहसील तिजारा रहा है। मिन वादी व वादी के भाई लल्लु ने उक्त साबिक आराजी पूर्व खातेदार मनीलाल से जरिये रजि. बयनामा दिनांक 07.12.1967 को बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद किया है। उक्त खरीद से ही मिन वादी व उसका भाई लल्लु साबिक आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करना आरम्भ कर दिया। मिन वादी व उसके भाई लल्लु ने बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को इन्तकाल दर्ज करने के दी दी और जिन्होनें बयनामा के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। मिन वादी व उसके भाई लल्लु के नाम बयनामा के अनुसार इन्तकाल दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज हो गया। मिन वादी व उसका भाई लल्लु आराजी के खरीदार, काबिज खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खैरथल-तिजारा

की हैसियत से आराजी का उपयोग उपभोग करना आरम्भ कर दिया। मिन वादी के भाई लल्लु उपरान्त मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते है। जिनके नाम का अंकन भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने जमाबन्दी सं. 2029 पैमुद करते समय साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा 4 बीघा 8 मिन आराजी बनाकर साबिक आराजी खसरा नं. 313 मिन रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नं. 313मिन रकबा 1 बिस्वा, हाल आराजी खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि रकबा है व हाल आराजी खसरा नं. 637 रकबा 1 बिस्वा यानि रकबा 0. 01 है. में शामिल कर पैमुद वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम पूर्ण रकबा दर्ज नहीं किया गया। जोकि खिलाफ मौका, कानून रिकार्ड रिकार्ड है। मिन वादी व उसके भाई लल्लु ने साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा बिस्वा सालिम हिस्सा खरीद किया है। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने हाल खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि 1.09 है. व हाल आराजी खसरा नं. 637 रकबा 1 यानि रकबा 0.01 है.. में शामिल का अंकन दर्ज किया है, एक रकबा को हजफ कर दिया है, जो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूको के खिलाफ प्रारम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले अमल है। जिसे इसी कदर दुरूस्त कराकर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण साबिक आराजी खसरा नं. रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि बयनामा के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में रकबा का अंकन कराकर इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग ते आ रहे है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं रही है और ात अमल की पूर्व वादी को कोई जानकारी नहीं थी। वादी को अपनी आराजी पर लोन लेने की ता हुई तो मिन वादी ने हल्का पटवारी के पास जाकर जमाबन्दी का अवलोकन किया तो गलत र्ज मिला। जिस पर समस्त दस्तावेजात की नकुलात प्राप्त कर कानूनी राय मशवरा किया तो गलत ी जानकारी सामने आई। जिस पर मिन वादी ने असल प्रतिवादी सं. 1 को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19 को पेश कर दुरूस्त करने का निवेदन किया तो असल प्रतिवादी सं. 1 दुरूस्त करने से इन्कार व बेदखल करने की धमकी दी है। जिससे मिन वादी के हकूको पर कुठाराघात होता है और मिन तरतीबी प्रतिवादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह में आंकी जाना सम्भव नहीं है। इसलिए मिन वादी, असल प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द कराने का अधिकारी है।

डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा 4 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि 1.0900 हैक्टेयर व हाल खसरा नं. 637 रकबा 1 बिस्वा यानि रकबा 0.01 है. पैमुद किया गया है, जो वाके ग्राम बिनौलिया तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने ी सं. 2029 पैमुद करते समय साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के दो मिन बनाकर साबिक आराजी खसरा नं. 313मिन रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व साबिक आराजी खसरा नं. न रकबा 1 बिस्वा, हाल आराजी खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि रकबा 1.0900 है. व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

राजी खसरा न 637 रकबा 1 बिस्वा यानि रकबा 0.01 है मे शामिल कर पैमुद कर मिन वादी व प्रतिवादीगण के नाम पूर्ण रकबा दर्ज नही किया गया। जोकि खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, रिकार्ड है। मिन वादी व उसके भाई लल्लू ने साबिक आराजी खसरा नं. 313 रकबा 4 बीघा 8 शामिल हिस्सा खरीद किया है। सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने हाल आराजी न 638 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा यानि 1.09 है. व हाल आराजी खसरा नं. 637 रकबा 1 बिस्वा, यानि 0.01 है मे शामिल का अंकन दर्ज किया है. एक रकबा को हजाफ कर दिया है, जो मिन वादी व प्रतिवादीगण के हकूको के खिलाफ प्रारम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे दर दुरूस्त करवाकर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण साबिक आराजी खसरा नं. 638 रकबा 4 बीघा भूमि बयनामा के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन र हस्तक्षेपात्मक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या ा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2014 में खसरा नम्बर 312 रकबा 5 बीघा बेगराज पुत्र के नाम दर्ज रिकोर्ड या जिसको वादीगण द्वारा जर्ये रजिस्ट्री खरीद कर लिया जो हाल में वादी के म दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 312 का हाल खसरा नम्बर 636 बना जो 5 बीघा स्वा का पैमूद किया गया है। खसरा नम्बर 313 भूरू वलद बुद्दा अहीर वादी के पिता के नाम संवत मे 4 बीघा 8 बिस्वा या जिसको घटाकर हाल खसरा नम्बर 637 में 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कर 638 मे 4 बीघा 6 बिस्वा कर दिया गया। जबकि कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा बनता है। 1 बिस्वा लमेन्ट ने साबिक खसरा नम्बर 313 का हाल 636 में सामिल कर दिया है इस प्रकार वादी का वाद किये जाने योग्य है।

अत वादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 636 में से 1 बिस्वा हजफ कर आराजी खसरा नम्बर 638 में शामिल कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:49 IST
Reason: SelfAttested

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)